कार्यालय निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

आई०ए०एस० (प्रारम्भिक) परीक्षा एवं पी०सी०एस० (प्रारम्भिक) परीक्षा के पूर्व अनूसचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये निःशुल्क कोचिंग परीक्षा परिणाम जारी कर दिये गये हैं। सफल अभ्यर्थियों के लिए काउसिंलिंग सम्बन्धी आवश्यक दिशा निर्देश निम्न हैं –

1. महिला अभ्यर्थियों हेतु केवल आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र अलीगंज, लखनऊ एवं राजकीय आई०ए०एस० / पी०सी०एस० कोचिंग, हापुड़ में ही सुविधा उपलब्ध है।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु भागीदारी भवन, लखनऊ (पुरुषों के लिये) तथा आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ (महिलाओं के लिये) में ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध है।

   उपरोक्त परीक्षाओं में सफल अनुसूचित जाति, अनुसुचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के स्नातक उत्तीर्ण अर्ह पुरुष / महिला अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जायेगी। उक्त कोचिंग सत्रों हेतु चयनित अभ्यर्थियों को निःशुल्क – आवास, पुस्तकालय व भोजन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्रशिक्षण की अवधि 10 माह की होगी।

कोचिंग में निम्नलिखित अर्हतायें रखने वाले अभ्यर्थी ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे–

1. अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के हों और उ0प्र0 के स्थायी निवासी हों तथा स्नातक उत्तीण हों।
2. अभ्यर्थी की आयु–
   आई०ए0एस0 / पी0सी0एस० – अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। (यू0पी0एस0सी0 / यू0पी0पी0एस0सी0 मानक के अनुरूप) संघ लोक सेवा आयोग / उ०प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा अनु०जाति / जनजाति / अ0पि0वर्ग के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा मान्य होगी।
3. अभ्यर्थी के माता–पिता अथवा अभिभावक की सभी स्रोत से वार्षिक आमदनी रूपया 06 लाख से अधिक न हो। (अभ्यर्थी के नाम पर बना हुआ आय प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।) आय प्रमाण–पत्र / जाति प्रमाण पत्र नवीन कम्प्यूटराइज्ड प्रारूप पर बना हो तथा जिसमें 12 अंको वाला कोड अंकित होना चाहिये। आय प्रमाण–पत्र तीन वर्ष से अधिक पुराना न हो।
4. अभ्यर्थी किसी शासकीय / अशासकीय अथवा अन्य सेवा में कार्यरत न हो तथा किसी शैक्षिक संस्था में अध्ययनरत न हो।
5. अभ्यर्थी को सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा के आधारभूत कोर्स के प्रशिक्षण / कोचिंग हेतु अधिकतम दो अवसर मिलेंगे।
6. अभ्यर्थियों को संबंधित परीक्षा (आई०ए०एस० / पी०सी०एस० प्रारम्भिक परीक्षा) जिसकी कोचिंग चाहता है, के लिये समस्त अर्हता / पात्रता पूर्ण करना आवश्यक है। इसके साथ ही अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा के लिये आयोग में आवेदन–पत्र भरना एवं परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।
7. कोचिंग संबन्धित वर्गों के निर्धन एवं प्रतिभावान अभ्यर्थियों हेतु चलाई जाती है इसके लिये अभ्यर्थियों की जाति एवं आय प्रमाण–पत्र अन्य अभिलेखों की गोपनीय जाँच कराई जा सकती है जिसके असत्य पाये जाने पर कोचिंग पर हुये व्यय की वसूली सम्बन्धित अभ्यर्थी से की जायेगी।

8. प्रशिक्षण की अवधि में अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश दिया जायेगा यथा बीमारी अथवा किसी अन्य सेवा की परीक्षा हेतु जिनके लिये वे आवेदन कर चुके है एवं जिनका उल्लेख आवेदन पत्र में होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य कारण हेतु कोई अवकाश देय नहीं होगा।

9. उपरोक्त कोचिंग सत्रों हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के उपरांत प्रवेश दिया जायेगा। काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों को 03 रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटो, ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी के साथ ही समस्त शैक्षिक अंक–पत्र/प्रमाण–पत्रों, जाति प्रामण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र, सरकारी चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र, स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र (जिसका प्रारूप नीचे संलग्न), राजपत्रित अधिकारी अथवा अंतिम विद्यालय/शिक्षण संस्थान, जहां से शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण–पत्र सभी मूल रूप में एवं एक सेट स्वप्रमाणित छाया प्रतियों सहित प्रस्तुत करना होगा।

10. ऐसे अभ्यर्थी जो समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पूर्णतया निःशुल्क कोचिंग योजना का लाभ पहले भी ले चुके हैं तथा दूसरी बार भी प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें संलग्न प्रारूप पर प्रथम कोचिंग संस्थान से चरित्र प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा।

11. आई०ए०एस० प्रारम्भिक परीक्षा अथवा पी०सी०एस० प्रारम्भिक परीक्षा हेतु संयुक्त रूप से कोचिंग प्रदान की जायेगी।

12. कोचिंग संस्थान में प्रवेश के बाद विद्यार्थियों द्वारा यू0पी0एस0सी0/ यू0पी0पी0एस0सी0 प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण न करने की स्थिति में संस्थान द्वारा विद्यार्थी के लगातार 03 टेस्ट कराए जाने के बाद यदि विद्यार्थी निर्धारित औसत से कम अंक प्राप्त करता है तो विद्यार्थी को संस्थान से निष्कासित कर दिया जाएगा।

13. प्रवेश के उपरान्त यदि विद्यार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की अनुशासन हीनता की जाती है तो उसे बिना किसी पूर्व नोटिस के संस्थान से निष्कासित कर दिया जाएगा।

14. संस्थान में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए संचालित कक्षाओं एवं टेस्ट में प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा।

15. काउंसलिंग व कक्षाएं प्रारम्भ होने की तिथि की सूचना विद्यार्थियों के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर चयनित कोचिंग संस्था द्वारा दी जाएगी।

घोषणा–पत्र का प्रारूप

1. मैं ....पुत्र/पुत्री श्री .... उ0प्र0 का/की स्थाई निवासी हूॅ ।
2. मेरे माता–पिता अथवा अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रू0 ....है।
3. मैं श्रेणी (पिछड़ी/अनु0जाति/अनु0जनजाति) .... का/की छात्र/छात्रा हूॅ, तथा मेरी उपजाति ....है।
4. मैं किसी शासकीय/अशासकीय अथवा अन्य सेवा में कार्यरत नहीं हूॅ औंर न ही किसी शैक्षिक संस्था में अध्ययनरत हूॅ।
5. मैनें इससे पूर्व समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 द्वारा संचालित अथवा अनुदानित किसी अन्य कोचिंग सेण्टर/संस्थान में कोचिंग नहीं लिया है और यदि एक बार से अधिक

किसी कोचिंग संस्थान में अध्ययन किया है तो संस्थान का नाम एवं वर्ष अंकित करें– ..
....

6. मेरे द्वारा दो बार से अधिक कोचिंग प्राप्त करते हुए पकड़े जाने पर मुझ पर व्यय हुए सरकारी धन की एकमुश्त वसूली सहित विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही हो सकती है, मैं इस तथ्य से अवगत हूँ।
7. मैं UPSC/UPPSC परीक्षा से सम्बन्धित समस्त शैक्षिक अर्हता/पात्रता (स्नातक) पूर्ण करता/करती हूँ।
8. मैं UPSC/UPPSC परीक्षा से सम्बन्धित आयु सम्बन्धी अर्हता पूर्ण करता/करती हूँ।
9. मेरे द्वारा समस्त मूल अभिलेखों (शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र आदि) आनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की प्रिन्ट आउट की प्रमाणित छायाप्रति तथा चरित्र प्रमाण पत्र (अन्तिम विद्यालय जहां शिक्षा प्राप्त की है के प्रधानाचार्य अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी) एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (सरकारी चिकित्सक द्वारा जारी) मूल रूप में प्रस्तुत कर दिये गये हैं।
10. मैं संस्थान के नियमों, आचार संहिता तथा समय–समय पर दिये अन्य निर्देशों का पालन करूंगा/करूंगी तथा कोचिंग सत्र के दौरान होने वाले समस्त टेस्ट में उपस्थित रहूँगा/रहूँगी एवं मेरी उपस्थिति समस्त साक्षात कक्षाओं में शत–प्रतिशत रहेगी। मेरे द्वारा उपरोक्त का पालन न करने तथा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करने पर संस्थान से निष्कासित कर दिया जाएगा, मैं इस तथ्य से भली–भांति अवगत हूँ।
11. मेरे जाति, आय प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों की गोपनीय जांच होने अथवा असत्यता की स्थिति में कोचिंग पर हुए व्यय की एकमुश्त वसूली की जा सकती है, मैं इस तथ्य से अवगत हूँ।
12. मेरे द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों (बीमारी अथवा किसी अन्य सेवा की परीक्षा हेतु) में ही अवकाश लिया जाएगा तथा अवकाश लेने की स्थिति में मेरे द्वारा अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र/परीक्षा सम्बन्धी प्रवेश पत्र की छायाप्रति अवश्य जमा की जाएगी, मैं इस तथ्य से भली–भांति अवगत हूँ।

दिनांक ....

हस्ताक्षर
छात्र/छात्रा का नाम–
छात्र/छात्रा का वाट्सएप मो0नं0–
पिता/अभिभावक का नाम–
माता/पिता का मोबाइल नं0–
लोकल अभिभावक का मोबाइल नं0–
पता–
जनपद का नाम
ईमेल–

दूसरी बार निःशुल्क कोचिंग योजना का लाभ पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों हेतु चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप

विद्यार्थी का नाम ....पिता/अभिभावक का नाम ....पता ....राजकीय कोचिंग संस्थान ....में सत्र ....में अध्ययनरत रहें हैं। अध्ययनकाल में इनकी समस्त कक्षाओं एवं मासिक/पाक्षिक/साप्ताहिक टेस्ट में उपस्थिति एवं प्रदर्शन संतोषजनक/उत्कृष्ठ रहा है। ये नियमित एवं अनुशासित विद्यार्थी हैं। संस्थान इनसे निकट भविष्य में बेहतर परीक्षा परिणाम की आशा रखता है।

उप निदेशक/केन्द्र प्रभारी